नियम 20)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

दावा संख्या 72 वर्ष 2025

प्रहलाद बनाम किशनलाल वगै.

दावा बाबत तकासमा एव स्थाई निषेधाज्ञा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.08.2025 | पत्रावली श्री कौशल किशोर जाट एडवोकेट ने पेश की। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। पेशशुदा तलवाने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजि0 डाक से की जाकर पत्रावली दिनांक 09.09.2025 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई | 2482-2485<br>13/08/25 |

आदेश प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी एवं विड्राॅल अनुमति का पेश होने पर पत्रावली पेश हुई वकीलवादी अधिवक्ता वकीलवादी ने निवेदन किया कि अनावश्यक वाद में विवादित जमीन के अलावा अन्य अतिरिक्त वाद पेश किया गया। अतः सम्पूर्ण आदेश वाद पेश करने के कारण वाद विड्राॅल अनुमति प्रदान करने संबंधित अवलोकन किया गया। वादी का वाद विड्राॅल किया जाता पत्रावली बाबत वाद के संबंध में आगे कार्यवाही की जावे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner